भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-157

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

आरटीई अधिनियम के परिणाम

†157. **श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के परिणाम का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो सरकार द्वारा आज तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार की देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हैं, जो नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त सरकार हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग वर्ष 2018-19 से स्कूल शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना- समग्र शिक्षा को लागू कर रहा है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत निगरानी प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:

- शिक्षा सचिवों/एसपीडी के अंतर्गत नियमित बैठकें
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा
- वास्तविक और वित्तीय प्रगति पर राष्ट्रीय कार्यशाला/समीक्षा बैठक।
- प्रबंध प्रणाली के माध्यम से निगरानी
- माननीय गृह मंत्री द्वारा उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ संघ राज्य क्षेत्रों की समीक्षा
- सामाजिक लेखा परीक्षा
- यूडाइज़+: शिक्षा संकेतकों का डाटा बैंक, स्कूल जीआईएस पोर्टल के साथ लिंकेज
- सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से निगरानी

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपनी व्यापक स्कीम, समग्र शिक्षा के प्रभाव की निगरानी के लिए संदर्भ वर्ष 2018-2019 से एक प्रबंधन सूचना प्रणाली, शिक्षा के लिए एकीकृत

जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+) विकसित की है। स्कूल डाटा संग्रह तंत्र में और क्रांतिकारी बदलाव लाने एवं अधिगम के परिणामों की निगरानी करने तथा पढ़ाई छोड़ चुके छात्रों को ट्रैक करने के लिए वर्ष 2022-2023 से यूडाइज़+ को सक्रिय किया गया ताकि वैयक्तिक रूप से छात्र-वार डाटा एकत्र किया जा सके। इसी तरह सुशासन को बढ़ावा देने के लिए वैयक्तिक रूप से शिक्षक-वार डाटा भी एकत्र और व्यवस्थित किया जा रहा है। इस विभाग ने यूडाइज़+ वर्ष 2023-2024 रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया है और इसे "https://udiseplus.gov.in/#/en/page/publications" पर देखा जा सकता है।

(ख): ग्रामीण क्षेत्रों में समान डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल चल रही है जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा सहित ई-शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है ताकि शिक्षा तक बहु-मोड पहुंच को सक्षम किया जा सके। इस पहल के प्रमुख घटक हैं:-

- दीक्षा - राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी ग्रेड के लिए क्यूआर कोड वाली सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्र का डिजिटल बुनियादी ढांचा। दीक्षा में वर्तमान में क्यूआर कोड वाली 7,080 से अधिक पाठ्यपुस्तकें हैं, जिनमें 374 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें और ईटीबी शामिल हैं।
- निर्णायक और आलोचनात्मक विचार-कौशल को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैब्स पर एक वर्टिकल भी बनाया गया है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक के विज्ञान और गणित विषयों के लिए 280 वर्चुअल लैब उपलब्ध कराए गए हैं। देश भर के शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से वर्चुअल लैब पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया है।
- डीटीएच टीवी चैनल - वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चैनलों को 200 पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों तक विस्तारित किया गया है ताकि सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। चैनलों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शिक्षा मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के तहत स्वायत्त निकायों को आवंटित किया गया है और वे संचालनात्मक हैं।
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट- शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग।
- दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेजी) और सांकेतिक भाषा में विशेष ई-सामग्री विकसित की गई है। यह एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर उपलब्ध है।
- समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी और डिजिटल पहल के तहत स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****